# न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद, कोटा (राजस्थान)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**सरकार बनाम रईस वगैरह**<br>**फौजदारी प्रकरण (सीआईएस) संख्या– 2467/2014** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03-10-2025 | अभियोजन अधिकारी उपस्थित।<br><br>अभियुक्तगण रईस, नाथी बाई व शहनाज अनुपस्थित, जिनकी ओर से उनके अधिवक्ता श्री विजय कुमार सक्सैना ने हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया।<br><br>साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्ल्यू. 7 चतुर्भुज व पी.डब्ल्यू. 8 जगवीर सिंह के बयान लेखबद्ध किये गये। अन्य गवाह की तामील अदम लौटी है।<br><br>यह प्रकरण इस न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की सूची में सूचीबद्ध है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह सं. 11 चन्दारानी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। तथा अन्य गवाह सं. 5 राजेन्द, गवाह सं. 12 भैरूलाल, गवाह सं. 13 राजकमल, गवाह सं. 14 अब्दुल वहीद, गवाह सं. 15 डॉ. प्रभाकर विजय व गवाह सं. 17 दिनेश कुमार को जमानतीय वारण्ट तादादी राशि दो हजार रुपये से तलब कर हर सूरत में तामील कराने व जरिये वीसी बयान दे सकने बाबत नोट लगाया जावे। फौजदारी लिपिक आज ही तामील जारी करें।<br><br>पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में दिनांक 14.10.2025 को पेश हो।<br><br>अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट<br>दीगोद, कोटा (राज०) | |